राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र०
पी.सी.एफ. भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ
दूरभाष : 0522-2630130 (कार्यालय)
फैक्स : 0522-2630115, 2630134
वेबसाइट : http://sec.up.nic.in
ईमेल : secup@up.nic.in, secup32@gmail.com

State Election Commission., U.P.
P.C.F. Building, 32-Station Road, Lucknow
Phone : 0522-2630130 (O)
Fax : 0522-2630115, 2630134
Website: http://sec.up.nic.in
Email : secup@up.nic.in, secup32@gmail.com

संख्या : 2020302041 / रा०नि०आ०–3 / पं०नि० / 15–19 / 2020 दिनाँक : 15 / 09 / 2020

अधिसूचना

"भारत के संविधान" के अनुच्छेद 243ट सपठित संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा–9 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, मनोज कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा यह निर्देश देता हूँ कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली का निम्नांकित समय सारिणी के अनुसार वृहद् पुनरीक्षण किया जाएगा :–

क्र.सं.	कार्यक्रम	अवधि
1.	किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन की कार्यवाही बी०एल०ओ० एवं पर्यवेक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन उन्हें तत्सम्बन्धी जानकारी देना तथा स्टेशनरी आदि का वितरण उपर्युक्त दोनों कार्यवाही पृथक्–पृथक् तथा समानान्तर चलेगी	15 सितम्बर, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 तक
2.	बी०एल०ओ० द्वारा घर–घर जाकर गणना और सर्वेक्षण करने की अवधि	01 अक्टूबर, 2020 से 12 नवम्बर, 2020 तक
3.	ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि	01 अक्टूबर, 2020 से 05 नवम्बर, 2020 तक
4.	ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर–घर जाकर जाँच करने की अवधि	06 नवम्बर, 2020 से 12 नवम्बर, 2020 तक
5.	ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार करना	13 नवम्बर, 2020 से 05 दिसम्बर, 2020 तक
6.	ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन	06 दिसम्बर, 2020 तक
7.	ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण	06 दिसम्बर, 2020 से 12 दिसम्बर, 2020 तक
8.	दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करना	06 दिसम्बर, 2020 से 12 दिसम्बर, 2020 तक
9.	दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण	13 दिसम्बर, 2020 से 19 दिसम्बर, 2020 तक
10.	दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थान समाहित करने की कार्यवाही	20 दिसम्बर, 2020 से 28 दिसम्बर, 2020 तक
11.	निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन	29 दिसम्बर, 2020

2. जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रमुख स्थानीय

समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा।

3. निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जाएगी। निर्धारित समय सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ायी जाएगी।

4. वैश्विक महामारी कोविड–19 के दृष्टिगत पुनरीक्षण कार्य में लगे सभी अधिकारियों/कार्मिकों को निम्न बातें ध्यान में रखना होगा :–

(1) अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड रखना होगा।

(2) कोई कार्मिक जब क्षेत्र में जाए, फेस मास्क लगाए रखना होगा।

(3) किसी भी घर के एक या दो सदस्यों से ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 02 गज की दूरी से वार्ता की जाएगी।

(4) अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करके एक साथ कई परिवारों का विवरण दर्ज नहीं किया जाएगा।

(5) सैनिटाइजर की शीशी साथ रखना होगा और किसी भी अभिलेख को देखने या हस्ताक्षर कराने के पश्चात् हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा।

(6) कार्मिक कन्टेनमेन्ट जोन में नहीं जाएंगे। कन्टेनमेन्ट जोन समाप्त होने पर उनके द्वारा सत्यापन कार्य किया जाएगा।

(7) यदि किसी कार्मिक को कोविड–19 के लक्षण हों या कोविड पाजिटिव हो, तो उसे इसकी सूचना तत्काल यथास्थिति अपने उच्चाधिकारियों को दिया जाना आवश्यक है।

मनोज कुमार
राज्य निर्वाचन आयुक्त, उ0प्र0।

संख्या : 2020302041 (1)/रा0नि0आ0–3/पं0नि0/15–19/2020 तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश।
9. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
11. अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था), उत्तर प्रदेश।
12. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

14. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, जोन/परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
15. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दें तथा आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु भेज दें।
16. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।
17. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), उत्तर प्रदेश।
18. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
19. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), उत्तर प्रदेश।
20. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
21. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
22. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), उत्तर प्रदेश।
23. निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित करा दें।
24. निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित करा दें।
25. समाचार सम्पादक, आकाशवाणी, गोरखपुर केन्द्र, गोरखपुर।
26. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को **दिनांक 15 सितम्बर, 2020** के असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इसकी दस प्रतियाँ आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया यह ध्यान रहे कि यह अधिसूचना विधायी परिशिष्ट में नहीं छपेगी।
27. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
28. सूचना पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश।
29. गार्ड फाइल, अनुभाग–3, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश वर्मा)
अपर निर्वाचन आयुक्त।